

स्मार पत्र

ई-मेल/स्पीड पोस्ट
अति महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-गै0यो0-16/2026 श्र0सं0- 5158

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती भा०प्र०से०
श्रमायुक्त,
बिहार ।

सेवा में,

पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना / मुजफ्फरपुर।
पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पटना/ मुजफ्फरपुर/ पूर्णियाँ/ बेगूसराय/ मोतिहारी/
डालमियानगर (रोहतास)/ भागलपुर/ मुंगेर ।
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली ।
सभी संबंधित उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधीक्षक ।
मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना ।
मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, पटना ।
निदेशक (कृ०श्र०) निदेशालय, पटना ।
सहायक श्रमायुक्त, मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, पटना ।
उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, मुजफ्फरपुर ।
सभी संबंधित कारखाना निरीक्षक/ वाणिज्य निरीक्षक ।
प्रबंधक, बिहार सचिवालय भोजशाला ।
श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक- 27.08.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2027-28 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का पुनरीक्षित
बजट प्राक्कलन तैयार कर दिनांक-14.09.2026 तक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-ब०15/बी०एस०जी०-295/2026/967 दिनांक-11.
08.2026 ।

विभागीय पत्रांक-गै0यो0-2016/2026 श्र0सं0-4809, दिनांक-13.08.2026 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 का
बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन वित्त विभाग को ससमय
उपलब्ध कराया जाना है। तदालोक में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को विभागीय पत्र के
माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक-25.08.2026 तक अनुरोध किया गया था, जो
अबतक अप्राप्त है।

अतः वित्त विभाग का पत्र संलग्न करते हुए अनुरोध किया जाता है कि वांछित सूचना दिनांक-14.09.2026 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय जिसमें निम्न बातों का अनुपालन किया जाय :-

- बजट निर्माण के दौरान वेतनादि मद में कुल वास्तविक कार्यरत बल के अनुसार व्यय के आधार पर तथा गैर वेतनादि मद में राशि का प्राक्कलन पूर्व के तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर औसत व्यय के अनुसार आवश्यकता के आलोक में किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- जीवन यापन भत्ता की गणना मूल वेतन के 68% पर की जाय। अपुनरीक्षित वेतन हेतु जीवन यापन भत्ता की गणना 280% (षष्ठम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए) तथा 510% (पन्चम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए) मानते हुए की जाय।
- स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की सूचना विहित प्रपत्र Annexure-V में अलग-अलग विपत्र कोड के अनुसार अलग-अलग उपलब्ध कराया जाय।
- गाड़ियाँ, दूरभाष, वर्दीधारी कर्मियों पर व्यय हेतु राशि की आवश्यकता हेतु सूचना Annexure-X में उपलब्ध कराया जाय।
- जिन कर्मियों को वर्ष में एकबार एकमुश्त ₹ 5000/- वर्दी भत्ता अनुमान्य है, उसका प्राक्कलन नियमानुसार विषयशीर्ष-01.07 अन्य भत्ता के अन्तर्गत किया जाय।
- वेतन राशि की गणना दिनांक-01.09.2026 को कार्यरत बल के आधार पर ही की जाय। स्वीकृत बल की सूचना प्रपत्र में अवश्य अंकित की जाय, भले ही उस बल के विरुद्ध कोई भी पदाधिकारी/कर्मि कार्यरत नहीं हों। लेकिन, रिक्त पदों के विरुद्ध वेतनादि मद में बजट उपबंध नहीं किया जाय।
- विद्युत प्रभार मद में संबंधित उर्जा विभाग/कार्यालय से परामर्श प्राप्त करते हुए पूर्व वर्ष के वास्तविकी के अनुरूप आवश्यकता की समीक्षा करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- कई विभागों/कार्यालयों द्वारा पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्ष में वेतनादि-01, कार्यालय व्यय-13, यात्रा व्यय-11 आदि मद में बजट का प्रावधान कराया जाता है, जिस पर महालेखाकार द्वारा आपत्ति दर्ज की जाती रही है। इन प्रावधानों की समीक्षा करते हुए राजस्व व्यय के स्थापना मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ही आवश्यक राशि की उपबंध किया जाय।

- सभी संबंधित सूचना संलग्न विहित प्रपत्र Annexure-I से Annexure-XV के अन्तर्गत होना चाहिए।
- संलग्न प्रपत्र में अंकित पदनाम के विरुद्ध एक ही उपशीर्ष में अगर एक से अधिक पदाधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हो तो उनकी सूचना अलग-अलग उपलब्ध करायी जाय। उक्त सूचना में प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, कोटि, वेतन, जीवन यापन भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्ता का अलग-अलग उल्लेख करते हुए एक माह के वेतन की गणना की जाय। मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्ता की गणना राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार प्रककलित किये जाये ।

अतएव वित्त विभाग के पत्र सं०-ब०15/बी०एस०जी०-295/2026/967, दिनांक-11.08.2026 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 का शीर्षवार बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 का पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन तथा आय व्ययक प्राक्कलन शीर्षक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए शीर्षवार प्राप्तियाँ विहित प्रपत्र में मुख्यालय को दिनांक-14.09.2026 तक (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में) निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। संलग्न सभी प्रपत्र वित्त विभाग के वेबसाइट-<https://state.bihar.gov.in/finance> पर भी उपलब्ध है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- गै०यो०-16/2026 श्र०सं०- 5158

पटना, दिनांक- 27/8/26

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार।